



कार्यालय नगर पालिका, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान



क्रमांक / न.पा.क. / अग्निशमन / 2022-23 / 753

दिनांक 01/03/2023

श्रीमान् संचालक,
आचार्य नानेश एकेडमी,
नानेश नगर, दाता तहसील कपासन
जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

विषय :- फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट प्रदान करने बाबत्।
प्रसंग :- आपके पत्रांक: ANA / 18 / 2022-23 दिनांक 08.11.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके पत्रानुसार आचार्य नानेश एकेडमी में फायर सेफ्टी हेतु पालिका कार्मिक द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया है, कपासन नगर से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग होने से अग्निशमन की आवश्यकता उत्पन्न होने पर भिजवाई जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना प्रतीत नहीं होता है।
अतः आप द्वारा वांछित आचार्य नानेश एकेडमी के नाम फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है, जो निम्न प्रकार है।

1. आचार्य नानेश एकेडमी में फायर सेफ्टी हेतु आवश्यक सुविधाएँ अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने होंगे तथा भविष्य में भी इन यंत्रों को अपने स्तर से रिफिल करवाने होंगे।
2. आचार्य नानेश एकेडमी में फायर प्रोटेक्शन एवं लाईफ सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था हेतु भविष्य में आवश्यक कार्यवाही समय-समय सम्पादित करनी होगी।
3. आचार्य नानेश एकेडमी में पानी की समुचित व्यवस्था रखनी होगी।
4. आचार्य नानेश एकेडमी को पेट्रोलियम भण्डारण के नजदीक धुम्रपान, मोबाईल, खुली आग व विद्युत लाईन पूर्ण रूप से निषेध रखनी होगी।
5. आपको पेट्रोलियम भण्डारण के पास आस लगे व टुल्स स्पार्क प्रुफ चिंगारी रहित रखने होंगे।
6. आपको एन.बी.सी. के अनुरूप में निर्माण एवं विस्फोटक अधिनियम 2002 की पालना एवं अग्निशमन यन्त्र स्थापित किए जाने होंगे।
7. आचार्य नानेश एकेडमी में फायर प्रुफ विद्युत केबल/तारों का ही उपभोग करना होगा।
8. अग्निशमन वाहन आने जाने का रास्ता खुला रखना होगा। साथ ही एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 8.2.2 वाणिज्यिक भवन के बिन्दु सं.(ज) के मापदण्ड अनुसार समस्त व्यवस्था आपको अपने स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक में वर्णित निर्देशों की पालना आचार्य नानेश एकेडमी द्वारा सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर अग्निशमन व्यवस्था कर स्थाई फायर अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य होगा।
सादर!

(करणी सिंह सौदा)
अधिसाधी अधिकारी
नगरपालिका, कपासन
नगर पालिका, कपासन